

# Schedule of Income-Tax

## आयकर की अनुसूची

(चार प्रतियों में भर कर दें)

वित्तीय वर्ष 2019-2020 (कर निर्धारण वर्ष 2020-2021)

Name of Assessee (करदाता का नाम) ..... श्रीमती सुमित्रा सिंह  
 Designation (पदनाम) ..... न्यायिक दस्तावेजकारी प्रथम श्रेणी  
 Office/School (कार्यलय/विद्यालय का नाम) ..... नवदास न्यायालय, रामपुर  
 स्थायी लेखा संख्या (PAN) ..... UYHP31353Q ..... केषागार का नाम ..... रामपुर

(क) वेतन स्रोत से आय का विवरण : 7वाँ वेतनमान में वेतन लेवल.....	Rs.
1. वेतन :- (दिनांक 1-3-2019 से 29-02-2020 तक) .....	332400 = 00
2. महंगाई भत्ता .....	537380 = 00
3. मकान किराया भत्ता .....	
4. चिकित्सा भत्ता .....	12000 = 00
5. परिवहन भत्ता .....	
6. परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता .....	99720 = 00
7. विशेष वेतनबोनस/मानदेय/नर्सिंग भत्ता .....	
8. महंगाई भत्ता की बकाया राशि .....	
9. बकाया वेतन एवं भत्ते का राशि .....	
10. वेतन स्रोत से प्राप्त सकल आय .....	981500 = 00

(ख) धारा 80C के अन्तर्गत अंशदान एवं अदायगियाँ :	Rs.
(i) भविष्य निधि में अंशदान .....	
(ii) ग्रूप-बीमा में अंशदान .....	1440 = 00
(iii) जीवन बीमा निगम के प्रीमियम का भुगतान (31.03.12 तक जारी पॉलिसी के लिए बीमित राशि का 20% तथा 01.04.2012 के बाद जारी बीमा पॉलिसी के मामले में बीमित राशि का 10% तक)	55272 = 00
(iv) राष्ट्रीय बचत पत्र का क्रय .....	
(v) पी०पी०एफ० में जमा .....	36000 = 00
(vi) बैंक/डाकघर में कर बचत फिक्सड डिपोजिट (5 वर्षों के लिए).....	
(vii) पुत्र/पुत्री की शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फीस)का भुगतान (दो संतान के लिए अनुमत्य).....	
(viii) 31-03-2020 के पूर्व निर्माण कार्य पूरा हुए मकान के गृह निर्माण अग्रिम के किस्तों (ऋण/मूलधन की वापसी) की अदायगी की राशि अथवा आवास बोर्ड इत्यादि से क्रय मकान, फ्लैट के मूल्य की राशि	
(ix) इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स/म्यूच्यूल फंड स्कीम के तहत अंशदान .....	
(x) धारा 80C के अंतर्गत अंशदान एवं अदायगियों का योगफल .....	
(xi) धारा 80CCC के अन्तर्गत LIC की पेंशन योजना (जीवन सुरक्षा) या अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन फंड में अंशदान पर (अधिकतम 1,50,000 तक कटौती)	
(xii) धारा 80CCD(1) के अन्तर्गत नई अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा अंशदान .....	90306 = 00
(वेतन+महंगाई भत्ता का 10% ) (Rs. .... × 12) = .....	
(xiii) धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के अंतर्गत अंशदान एवं अदायगियों का कुल योगफल, जिसकी अधिसीमा Rs. 1,50,000/- निर्धारित है । परन्तु झारखण्ड/बिहार सरकार/नियोक्ता द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती Rs. 1,50,000/- के अलावा मिलेगी ।	183018 = 00
(xiv) धारा 80CCD(1B) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के अधिकतम Rs. 50,000/- तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, बशर्ते ऐसे अंशदान के लिए धारा 80CCD(1) के तहत कटौती नहीं मांगी गई हो ।	150000 = 00



(ग) आयकर की संगणना :

1. वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय
2. घटायें-धारा 10 (13A) के अन्तर्गत छूट  
(प्राप्त मकान किराया भत्ता की राशि जो निम्नांकित की न्यूनतम राशि कर मुक्त होगा)  
(a) वास्तव में प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता Rs. ....  
(b) वेतन और महंगाई भत्ता के योग का 10वें भाग से अधिक भुगतायी गयी मकान किराया भत्ता की राशि  
भत्ता की राशि (Rs. .... × 12) - (Rs. .... ÷ 10) = (Rs. ....)
3. वेतन स्रोत से प्राप्त आय
4. घटायें-धारा 16(ii) के अन्तर्गत मानक कटौती की राशि Rs. 50,000/-
5. घटायें-धारा 16(iii) के अन्तर्गत Tax on Employment (प्रोफेशनल टैक्स) / मनोरंजन भत्ता
6. घटायें-धारा 24(1) के अन्तर्गत गृह सम्पत्ति से हानि (स्वयं के कब्जे वाले अश्वसीय मकान जो ऋण पर ब्याज के कारण हुई हो अधिकतम Rs. 2,00,000) विचरणी संलग्न करें।
7. कुल आय
8. जोड़ें-अन्य स्रोतों से आय
9. जोड़ें-गृह सम्पत्ति से आय
10. जोड़ें-बैंक/डाकघर में बचत खातों पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त राशि.....
11. सकल प्राप्त आय (Gross Total Income)
12. घटायें-धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) के अन्तर्गत अंशदान एवं अद्ययुक्तियों की योगफल की राशि
13. घटायें-धारा 80CCD(1B) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के लिए अधिकतम Rs. 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, बशर्ते ऐसे अंशदान के लिए धारा 80CCD(1) के तहत कटौती नहीं मांगी गई हो।
14. घटायें-धारा 80CCG के अन्तर्गत राजीव गांधी इन्विटी बचत योजना के तहत सूचित इन्विटी शेयरों या म्यूचुअल फंडों की सूचीकृत यूनियनों में निवेश की गई राशि का 50% (अधिकतम Rs. 25,000)
15. घटायें-धारा 80D के अन्तर्गत आश्रित के स्वास्थ्य पर बीमा प्रीमियम की राशि प्रीमियम की राशि (अधिकतम Rs. 25,000) (60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को Rs. 50,000) तक
16. घटायें-धारा 80DD, 80DDB एवं 80U के अन्तर्गत अनुमान्यकटौती की राशि (80DD के लिए प्रपत्र 10-1A एवं 80DDB के लिए प्रपत्र 10-1 में प्रमाण पत्र संलग्न करें)
17. घटायें-धारा 80E, उच्चतर शिक्षा के लिए लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती (प्रति, पत्नी एवं बच्चों के लिए) बिना किसी सीमा के घटायें
18. घटायें-धारा 80EE के अन्तर्गत पहले आवासीय मकान संपत्ति के लिए (वित्तीय वर्ष 16-17 में) लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती राशि (अधिकतम Rs. 50,000) तक
19. घटायें-धारा 80EEA के अन्तर्गत सस्ते मकान के लिए (वित्तीय वर्ष 2019-20 में) लिये गए ऋण पर ब्याज की कटौती राशि (अधिकतम Rs. 1,50,000) तक
20. घटायें-धारा 80G के अन्तर्गत पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दान की अनुमान्य राशि
21. घटायें-धारा 80TTA के तहत बचत खाते में जमा पर ब्याज की कटौती (बैंक/डाकघर में बचत खातों पर ब्याज अधिकतम (Rs. 10,000 तक कटौती योग्य है)
22. कर योग्य आय (Rs. 10 के गुणक में परिवर्तित राशि)
23. Rs. 779 500 = 00 पर देय आयकर \*  
(i) प्रथम Rs. 2,50,000 पर आयकर\* शून्य  
(ii) अगला Rs. 250 000 = 00 का @ 5% = Rs. 12 500 = 00  
(Rs. 2,50,001 से Rs. 5,00,000 तक)  
(iii) अगला Rs. 279 500 = 00 का @ 20% = Rs. 55 900 = 00  
(Rs. 5,00,001 से Rs. 10,00,000 तक)  
(iv) शेष Rs. .... का @ 30% = Rs. ....  
(Rs. 10,00,001 से अधिक राशि पर)  
योग Rs. ....
- \*कर मुक्त आय : 60 वर्ष से कम आयु की पुरुष/महिला के लिए छूट की सीमा Rs. 2,50,000 है
24. घटायें-धारा 87A के तहत कर में राहत (कर योग्य आय Rs. 5,00,000 तक के लिए Rs. 12,500)
25. शुद्ध देय आयकर
26. जोड़ें-4% (स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर) Rs. .... का 3% = Rs. ....
27. कुल देय आयकर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योगफल
28. घटायें-धारा 89(i) के अन्तर्गत बकाया राशि पर आयकर में छूट (गणना तालिका संलग्न)
29. घटायें-प्रतिमाह वेतन से आयकर का भुगतान या अग्रिम कर का भुगतान
30. घटायें-चालान द्वारा जमा किया गया आयकर की राशि नगद/चेक नं० ..... दिनांक .....
31. वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आयकर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की भुगतये राशि

Rs.  
981 500 = 00

50 000 = 00  
2 000 = 00

929 500 = 00

1 50 000 = 00

779 500 = 00

68 400 = 00

27 36 = 00

779 500 = 00

56 000 = 00

779 500 = 00

Shakti Singh  
करदाता की हस्ताक्षर / 2020

निकामी एवं व्ययन पदाधिकारी  
का प्रमाण एवं मुहर PAN  
Drawing & Sealing Office  
Civil Court, Samastipur

20/1/20